

5

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक / /2020

कार्यालय-सूचना

सचिवालय के कार्यालय सूचना क्रमांक 7900/ वि.स./ वाहन/ 2002, दिनांक 07.08.2002 द्वारा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों /कर्मचारियों को कार्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु संचालित सभी बसों में आगे की दो सीट (चालक के पीछे वाली) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए आरक्षित कर पालन करने हेतु सर्व संबंधितों को सूचित किया गया था। साथ ही यह अपेक्षा भी की गई थी कि सीट खाली नहीं होने की स्थिति में चतुर्थ श्रेणी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, अधिकारियों एवं महिला कर्मचारियों के लिए खड़े होकर सीट रिक्त करेंगे।

देखने में यह आया है कि बस में उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कतिपय अवसर पर विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है।

आदेशानुसार, पुनः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर जारी बस पास की सुविधा को निरस्त किया जा सकेगा।

आदेश से,

उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक 6863 /वि.स./स्था./2020
प्रतिलिपि

रायपुर, दिनांक 29/5/2020

01. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. सर्व संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. सर्वर कक्ष।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ विधान सभा